-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल के साथ भ्रमण कर रहे 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 03 पिस्टल व 04 मैगजीन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल के साथ भ्रमण कर रहे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23/24.08.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मवई बाईपास चौराहा देव ढाबा के पास एक चारपहिया वाहन (थार) सन्दिग्ध अवस्था मे खड़ा मिला जिसमें 03 व्यक्ति मौजूद थे। पुलिस द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करने व तलाशी लेने पर उन सभी के पास से कुल 03 अवैध पिस्टल तथा 04 मैगजीन बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 03 अवैध पिस्टल
- 04 खाली मैगजीन
- 01 चार पहिया वाहन (थार)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनुराग सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी समोध मौहल्ला महोखर थाना कोतवाली देहात जिला बांदा
2. अभय पुत्र जयसिंह निवासी जवाहर नगर डिवाईन लान वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. शिवकान्त कुशवाहा पुत्र बलवीर कुशवाहा निवासी सती माता मन्दिर के पास ग्राम महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1 श्री अनूप कुमार दुबे प्र0नि0 कोतवाली देहात
2.उ0नि0 अंकुर खारी
3.का0 दीपक अहिरवार
4.का0 दीपक यादव
5.का0 अभिषेक मिश्रा
6.का0 सचिन पटेल
7.का0 मंजीत यादव
8.का0 रवि कुमार